रजिस्टर्ड सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6, 1987 (ज्येष्ठ 16, 1909)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1987 (JYAISTHA 16, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	455
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	659
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	737
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4441
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	435
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2451
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	7*
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 455

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 659

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. .. .

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 737

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. .. *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. .. .. *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) .. .. *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. .. *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 4441

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 435

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices Issued by Statutory Bodies 2551

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 75

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi *

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1987

सं० 45-प्रेज/87—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री नगेन्द नाथ मिश्र,
डिप्टी कमानडेंट,
29 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 फरवरी, 1980 को यह सूचना प्राप्त हुई कि विद्रोहियों का एक गिरोह मणिपुर में कन्नू पहाड़ी के जंगल के अन्दर ठहरा हुआ है । श्री नगेन्द्र नाथ मिश्र, डिप्टी कमानडेंट, एक पुलिस दल सहित इम्फाल से गांव कंगलाटोंगबी तक वाहनों में रवाना हुआ तथा वहां से शेष रास्ता उन्होंने पैदल तय किया। छापामार दल को तीन ग्रुपों में बांटा गया जिनमें एक दल का नेतृत्व श्री नगेन्द्र नाथ मिश्र, डिप्टी कमानडेंट ने, दूसरे ग्रुप का अपर पुलिस अधीक्षक ने तथा तीसरे ग्रुप का नेतृत्व दो पुलिस निरीक्षकों ने किया ।

यह बताया गया था कि मक्खन गांव में विद्रोहियों के लिए गहरी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हैं। उक्त गांव को घेरने के लिए एक निरीक्षक के कमांड में एक प्लाटून, भेजी गई। 16 फरवरी, 1980 को बड़े सवेरे निरीक्षक द्वारा संदिग्ध घर की तलाशी ली गई जहां दो व्यक्ति पाए गए जिन्हें सिविल पुलिस को सौंप दिया गया। छापामार दल का दूसरा ग्रुप भी 16 फरवरी, 1980 को बड़े सवेरे विद्रोहियों के कैम्प के निकट पहुंचा। जब छापामार दल कैम्प से लगभग 50 गज की दूरी पर था तो मार्गदर्शक कान्सटेबल पर गोली चलाई गई और वे पैर में गोली लगने से घायल हो गये। उन्होंने शीघ्र मोर्चा संभाला और जवाब में गोली चलाई। पास में छिपे हुए एक विद्रोही ने कान्सटेबल पर आक्रमण कर दिया। इतने में एक अन्य कान्स्टेबल ने विद्रोही पर तुरन्त गोली चलाई और उसको घटनास्थल पर ही मार डाला। गोली-बारी की आवाज सुनकर अन्य विद्रोहियों ने छापामार दल पर गोली-बारी करनी शुरू कर दी तथा पुलिस दल पर एक हथगोला फेंका, परन्तु हथगोला फटा नहीं। एक विद्रोही ने एल० एम० जी० चला रहे कांस्टेबल को गोली मारने का प्रयास किया परन्तु विद्रोही को गोली से भून दिया गया। इसी बीच श्री नगेन्द्र नाथ मिश्र, डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व वाले अन्य दल ने विद्रोहियों को जीवित पकड़ने के लिए उनके कैम्प पर आक्रमण किया। श्री मिश्र, के नेतृत्व में छापामार दल के साहस को देखकर विद्रोही इतने हतोत्साहित हो गए कि वे भयभीत होकर हड़बड़ी में भारी मात्रा में शस्त्र, गोला-बारूद, तथा अन्य उपकरण छोड़कर भाग गए। घने जंगल में बहुत कम रोशनी का फायदा उठा कर कुछ विद्रोही बच कर भाग गए। दो विद्रोही मारे गए तथा भारी मात्रा में शस्त्र तथा गोला-बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री नगेन्द्र नाथ मिश्र, डिप्टी कमानडेंट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 फरवरी, 1980 से दिया जाएगा।

सं० 46-प्रेज/87—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री जनार्दन प्रसाद, सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना सदर,
जिला वैशाली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

29 अप्रैल, 1986 को श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक सदर थाने, वैशाली से मोटर साइकिल पर कस्बे की ओर जा रहे थे। जब उन्होंने रेलवे स्टेशन चौक पार किया तो गोलियां चलने की आवाज सुनी और लोगों को भय से हड़बड़ी में भागते देखा । श्री सिंह ने मोटर साइकिल को रोका और उन्हें मालूम हुआ कि एक दुकान में सशस्त्र लूटपाट की जा रही है। लुटेरों ने एक दुकानदार को गोली से मार

दिया था और लोग इतने भयभीत और हतोत्साहित हो गए कि जब श्री सिंह घटना स्थल की ओर बढ़े तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और अकेले न जाने की चेतावनी दी। खतरे की परवाह न करते हुए श्री सिंह, अकेले दुकान की ओर बढ़े। एक पुलिस अधिकारी को वर्दी में देखकर अपराधी घबरा गये, और आतंक फैलाने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी लेकिन श्री सिंह भाग्य से बच गए। वे एक हृष्ट-पुष्ट अपराधी पर झपटे, उन पर छुरे से किए गए घातक हमले को अपने दायें हाथ से रोका और अपराधी को ठोकर मार कर जमीन पर गिरा दिया। जब अन्य अपराधियों ने अपने एक साथी को जमीन पर पड़े देखा तो वे हतोत्साहित हो गए और बच कर भाग गए। हाथापाई के दौरान जीवित रहने की आकांक्षा से संघर्ष करते हुए अपराधी ने अपने छुरे से उप-निरीक्षक पर एक और हमला किया। श्री सिंह ने छुरे के हमले को विफल कर दिया और बड़े साहस से अपराधी पर झपटे और उसको जमीन पर गिरा दिया। अपराधी ने उप-निरीक्षक के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। बाद में उसकी जिला पटना के नगेन्द्र साहनी के रूप में शिनाख्त की गई। श्री सिंह की साहसपूर्ण कार्रवाई से दुकान को लूटपाट से बचा लिया गया और जान-माल की और हानि रुक गई। पूछताछ करने पर अपराधी ने अपने साथियों के नाम और छिपने के स्थान बता दिये। बाद में दो और अपराधियों को पकड़ा गया। सभी अपराधी हत्या/लूटपाट के अनेक मामलों में शामिल थे।

इस घटना में श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम, 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 अप्रैल, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 47-प्रेज़/87—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना चांदी,
जिला नालन्दा (बिहार)।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 नवम्बर, 1985 की रात्रि को श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नक्सलवादी थाना चांदी के अन्तर्गत गंगाबीघा, टोला बेलदारिया के निकट एकत्र हो रहे हैं और पुलिस की राइफलों को लूटने की दृष्टि से पड़ौस के थारथारी थाने पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। श्री सिंह ने नजदीकी थानों में अपने समकक्ष अधिकारियों से सम्पर्क किया और एक पुलिस दल को अपने नेतृत्व में टोला बेलदारिया ले गए तथा नक्सलवादियों के एकत्र होने के बारे में जांच-पड़ताल की। तलाशी के दौरान वे एक कमरे में घुसे जहां उन्होंने लगभग 10 सशस्त्र व्यक्तियों को देखा। उन्हें देखते ही नक्सलवादियों ने गोली चलानी शुरू कर दी लेकिन वे होशियारी से एक अन्य कमरे में घुस गये और मोर्चा संभाला। उन्होंने नक्सलवादियों को अपने हथियारों सहित आत्म-समर्पण करने का आदेश दिया। यद्यपि श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह अपने दल से पूर्णतः अलग हो गये थे और वस्तुतः नक्सलवादियों की गोलीबारी की रेंज में थे, फिर भी उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाई। उग्रवादियों ने जवाब में गोली चलाई जो श्री सिंह के बांये पैर में घुटने के नीचे लगी और वे गिर पड़े। फिर भी वे कमरे से बाहर निकल आये और अपने जवानों को कमरे को घेरने का आदेश दिया। उन्होंने हिल्सा थाने को भी सावधान कर दिया और कुमुक भेजने के लिए अनुरोध किया लेकिन कुमुक पहुंचने की प्रतीक्षा किए बगैर उन्होंने अपने जवानों की सहायता से गांव को घेर लिया। इससे आतंकवादी डर गये और उन्होंने रुक-रुक कर गोली चलाते हुए गांव से बाहर निकलने का प्रयास किया। इस गोली-बारी में चांदी थाने के एक अन्य पुलिस उप निरीक्षक गोली लगने से घायल हो गये। नक्सलवादियों ने स्वयं को खतरनाक स्थिति में देखकर जान पर खेल कर पुलिस का घेरा तोड़ने और भागने का प्रयत्न किया। इस कार्यवाही में नक्सलवादियों ने भारी गोलीबारी का सहारा लिया और इसके जवाब में पुलिस दल ने भी गोलियां चलाई। इसके परिणामस्वरूप तीन नक्सल-वादियों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। जब स्थिति शान्त हो गई और गांव से गोलियों का चलाया जाना रुक गया तो श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह उप निरीक्षक, गांव में घुसे और तलाशियां लीं। नक्सलवादियों से लूटी गई एक पुलिस राइफल 2 रेग्यूलर राइफल, 3 रेग्यूलर डी० बी० बी० एल० बन्दूकें, दो देसी राईफलें, एक देसी बन्दूक और बड़ी मात्रा में सक्रिय कारतूस बरामद किए गए। दो जीवित नक्सलवादियों सहित कुल 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 नवम्बर, 1985 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 मई 1987

संकल्प

सं० 12015/12/84-रा० भा० (त० क०)—इस विभाग के दिनांक 29-7-85 के संकल्प सं० 12015/12/84-रा० भा० (त० एकक) द्वारा गठित अन्त-विभागीय उच्चस्तरीय समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। इसकी संरचना अब निम्न प्रकार होगी :—

1. गृह राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
3. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग	सदस्य
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
5. प्रो० सी० एस० झा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आई० आई० टी०, हौजखास, नई दिल्ली	सदस्य
6. डा० एन० वी० कोटेश्वर राव, कम्प्यूटर डिवीजन, ईसीआईएल, चेरलापल्ली, हैदराबाद-500762	सदस्य
7. डा० पी० के० पटवर्धन, प्रमुख कम्प्यूटर डिवीजन तथा अध्यक्ष, टैक्नालॉजी ट्रांसफर ग्रुप, भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर, बम्बई	सदस्य
8. डा० ओम विकास, संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	सदस्य
9. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग	सचिव

2. उपर्युक्त संकल्प में दिए गए अन्य निर्णय उसी प्रकार रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शंभु दयाल, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 5 मई 1987

शुद्धि-पत्र

सं० 2(15)/82-एन० एस०—भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खण्ड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 11-8-1983 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 2(15)/82-एन० एस० में "चौथा इनाम (प्रत्येक 5000 रुपए)" के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि को हटा दिया जाए —

"76 5622839 1462922 बोकारो स्टील सिटी बिहार"

ओम पाल सिंह, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1987

संकल्प

सं० 3(1)/87-धातु-2—सरकार ने अलौह धातु (एल्यूमिनियम से इतर) उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं के प्रति राष्ट्रीय भागीदारी की बृहत्तर भावना पैदा करने तथा समय-समय पर प्राथमिक उत्पादकों, परोत्पाद प्रयोक्ताओं और व्यापारियों के बीच नए विचारों का आगम, आदान-प्रदान और संलाप सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अलौह धातु (एल्यूमिनियम से इतर) विकास तथा प्रोन्नयन परिषद गठित करने का निर्णय किया है, ताकि इन धातुओं की अपेक्षाकृत दुर्लभ भंडार स्थिति के संदर्भ में कार्यचालन में सुधार किया जा सके। विकास एवं प्रोन्नयन परिषद का गठन इस प्रकार होगा :—

1. सचिव, इस्पात और खान मंत्रालय, (खान विभाग), नई दिल्ली। — अध्यक्ष

क—अलौह धातुओं के प्राथमिक उत्पादक

2. अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, यशदगढ़, यशद भवन, उदयपुर (राजस्थान)।

3. अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, 10 कैमेक स्ट्रीट, कलकत्ता।

4. अध्यक्ष, कोमिन्को बिनानी जिंक लिमिटेड, मर्केन्टाइल चैम्बर, 12 जे० एन० हरेडिया मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई-400030।

5. प्रबन्ध निदेशक इंडियन लैड प्राइवेट लि०, बम्बई-आगरा रोड, मजीवाडिया, थाने-400061।

ख—अलौह धातुओं (एल्यूमिनियम से इतर) के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि एसोशिएशन

6. प्रेजीडेन्ट,
इंडियन नानफेरस मेटल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, द्वारा मैकन्जी बिल्डिंग, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई ।

7. प्रेजीडेन्ट,
केबल एण्ड कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया,
308, मानसरोवर,
90, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली ।

8. प्रेजीडेन्ट
इंडियन इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,
501, कक्कड़ चैम्बर्स,
132, एनी बीसेन्ट रोड, वर्ली, बम्बई ।

9. महासचिव,
नेशनल एलायन्स आफ यंग एण्टरप्रेन्योर्स,
301–302, सरस्वती भवन,
28, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली ।

10. अध्यक्ष,
एसोशिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री,
नई दिल्ली ।

11. इण्डस्ट्रीज एसोशिएशन,
जगाधरी ।

ग—तकनीकी प्राधिकारी

12. महानिदेशक,
तकनीकी विकास, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

13. अध्यक्ष,
औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो,
लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।

14. प्रेजीडेन्ट,
फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया,
23–बी/2, गुरू गोबिन्द सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110005 ।

15. सचिव,
भारतीय सीसा जस्ता सूचना केन्द्र,
नई दिल्ली ।

16. महानिदेशक,
भारतीय मानक संस्थान,
नई दिल्ली ।

17. मेजर जनरल आर० बी० एन० कदम्बी,
निदेशक, कार्यक्रम कार्यान्वयन (इंजीनियरी),
काश्मीर हाउस, नई दिल्ली ।

18. डा० राजेन्द्र, कुमार,
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
भोपाल ।

19. विकासायुक्त,
लघु उद्योग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।

20. डा० सी० जी० कृष्णादास नैयर,
महाप्रबन्धक,
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०,
बंगलौर ।

घ—आयात एजेंसी

21. अध्यक्ष,
भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि०,
एक्सप्रैस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली ।

ङ. सरकारी अधिकारी

22. अपर सचिव,
इस्पात और खान मंत्रालय,
खान विभाग,
नई दिल्ली ।

23. सलाहकार (ऊर्जा संरक्षण),
मंत्रिमण्डल सचिवालय,
नई दिल्ली ।

24. सलाहकार (उद्योग और खनिज),
योजना, आयोग, नई दिल्ली ।

25. संयुक्त सचिव,
तांबा प्रभारी, खान विभाग, नई दिल्ली ।

26. संयुक्त सचिव,
वाणिज्य मंत्रालय
नई दिल्ली ।

27. संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली ।

28. आयुक्त,
कर अनुसंधान, राजस्व विभाग,
नई दिल्ली ।

29. निवेशक/उप सचिव, सदस्य-सचिव
जस्ता उद्योग प्रभारी,
खान विभाग, नई दिल्ली ।

कार्य

अलौह धातुओं (एल्यूमिनियम से इतर) तथा उनके सह-उत्पादों से संबंधित मामलों में, उत्पादन, क्षमता मानक, उत्पादन लागत में कटौती, क्षमता उपयोग, ऊर्जा संरक्षण,

गुणवत्ता सुधार, उत्पादों के मानकीकरण, नए माल के विकास पर विशेष बल देते हुए, सरकार को सलाह देना और साथ ही उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना ।

कार्य अवधि :

अलौह धातु एल्यूमिनियम के इंगर की विकास तथा प्रोन्नयन परिषद का कार्य- काल, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषतया न बढाया गया तो, चार वर्ष होगा ।

प्रतीप लाहिरी, अपर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1987

आदेश

विषय :—ओ० एन० जी०सी० को ब्लाक संख्या—सी० ओ० एस०—आई० सी० तमिलनाडु अपतट में 7200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ०—12012/5/87—ओ० एन० जी० डी०—II—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को ब्लाक सं० सी० ओ० एस०—आई० सी०, तमिलनाडु अपतट में 7200 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-8-87 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है ।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी ।

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192 रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 57600 रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणन प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी —

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम—II के उप-नियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उस धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53)

और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमिट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं ।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

(च) अगर विदेशी जलपोत लगाए जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाए जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके ।

(छ) कृष्णा गोदावरी बेसिन (अपतट) में ब्लाक–आई सी और आई डी क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यकलापों जैसे अपतटीय रिगों के आगमन व जोन की तिथि के बाबत ओ एन जी सी द्वारा फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नेवल कमांड, विशाखापतनम, को सूचना दी जानी चाहिए ।

अनुसूची "क"

मन्नार की खाड़ी (कावेरी अपतट) में ब्लाक-सी ओ एम–आई सी, तमिलनाडु अपतट में 7200 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

(1) सीमा बिन्दुओं के भूभौतिकीय आंकड़े ।

बिन्दु	अक्षांतर	देशान्तर
ओ	9° 11″ 21″	78° 43″ 38″
एन	8° 44″ 51″	78° 10″ 54″
क्यू	7° 27″ 34″	78° 10″ 54″
ई	7° 40″ 00″	78° 20″ 00″
एफ	8° 00″ 00″	78° 20″ 00″
आर	8° 23″ 14″	78° 43″ 38″

(2)	भूमि स्थल के 3 प्रमुख स्थानों से दूरतम बिन्दु (बिन्दु आर) की अनुमानित दूरी	टूटीकोरीन रामेश्वरम रामानाथपुरम	78 कि० मी० 118 कि० मी० 110 कि० मी०
(3)	क्षेत्र में पानी की उपरवर्ती (सुपर नेसेंट) गहराई ।	—	0–900 मी०
(4)	ड्रिलिंग आरम्भ करने की संभावित तिथि	—	01–08–1987
(5)	अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरे देश की सीमा से संलग्नता (पी० ई० एल० के अन्तर्गत क्षेत्र) की अनुमानित दूरी	—	पी० ई० एल० क्षेत्र का दक्षिणी भाग भारत श्रीलंका समुद्री सीमा के 80 कि० मी० के अन्दर पड़ता है ।
(6)	विदेशी फर्मों/विदेशियों के नाम जिन्हें ड्रिलिंग/अन्वेषण गतिविधियों के दौरान कार्य पर लगाया जाएगा ।	—	इन क्षेत्रों में किसी विदेशी को कार्य पर लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, कैसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल : वर्ग किलो मीटर।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या।	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—कंडेंसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खाये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर----------

भारत के राष्ट्रपति के आदेश और उनके नाम से/पर

आदेश

विषय :—ओ० एन० जी० सी० को ब्लाक सं० सी०ओ०एस०—1 बी० तमिलनाडु अपतट में 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ०—12012/6/87—ओ० एन० जी० सी०—II—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (जिसे आगे आयोग कहा गया है) को ब्लाक सी ओ एस—1 बी तमिलनाडु अपतट में 7500 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1—8—87 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कंसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192 रुपए प्रति मी० टन या देशी ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा कंसिंग हैड केडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम-II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 60,000 रुपए की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणन प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश, जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष लिए	300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम–II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई होने के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का/53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में अंकलित किए जाते हैं ।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाए जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण भारतीय नौसेना के विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा उनके लगाए जाने से पूर्व किया जाना होता है । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षणदल की प्रतिनियुक्ति हो सके ।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए ।

(द) लगाए गए पोतों को आई० बी० एल० पार न करने की सलाह दी जाए ।

(ध) कृष्णा गोदावरी बेसिन (अपतट) ब्लाक आई० सी० और आई० डी० क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यकलापों, जैसे अपतटीय/रिगों के आगमन व जाने की तिथि के बाबत ओ०एम० जी०सी० द्वारा फ्लेग आफिस कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमांड, विशाखापत्तनम को सूचना दी जानी चाहिए ।

अनुसूची "क"

तमिलनाडु अपतट के ब्लाक सं० सी० ओ० एस–सी में 7500 वर्ग कि० मी० (कावेरी अपतट) के भूवैज्ञानिक निर्देशांक

बिन्दु	अक्षान्तर	देशान्तर
एम	8° 08″ 39″	77° 38″ 10″
पी	7° 11″ 53″	77° 38″ 10″
डी	7° 12″ 00″	78° 00″ 00″
क्यू	7° 27″ 34″	78° 10″ 54″
एन	8° 44″ 51″	78° 10″ 54″

(1) भूमि के मुख्य स्थानों से दूरतम बिन्दु (डी) की अनुमानित दूरी	कन्या कुमारी	110 कि० मी०
	उवान कुडी	137 कि० मी०
	टूटीकोरिन	180 कि० मी०
(2) क्षेत्र में पानी की ऊपरी वर्ती सतह की अनुमानित गहराई	0–900 मी०	
(3) अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग चालू होने की संभावित तिथि	01–08–1987	

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण

के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये कि० ली० की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये सं० ली० की	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त कि० ली० की सं०	टिप्पणी
	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल कि० ली० की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये कि० ली० की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये कि० ली० की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त कि० ली० की संख्या	टिप्पणी
	2		4	5

ग–प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री———————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर———————————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से नाम पर तथा उनके

दिनांक 12 मई 1987

आदेश

विषय :—ओ० एन० जी० सी० को तमिलनाडु अपतट में ब्लाक संख्या–सी० ओ० एस०–1ए में 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ० 12012/7/87–ओ० एन० जी० डी०–II/—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ओ० एन० जी० सी० को ब्लाक संख्या सी० ओ० एस०–1 ए तमिलनाडु अपतट में 7500 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1–8–87 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है ।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192 रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत मास से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व क्षथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम–II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 60,000 रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपए

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्ययधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अवेन्षी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमिट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते है ।

(ण) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किए गए समुद्री विज्ञान आंकड़ों का एक पूरा सेट मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए ।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाए जाते है तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण भारतीय नौसेना के विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा उनके लगाए जाने से पूर्व किया जाना होता है । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके ।

(थ) कृष्णा गोदावरी बेसिन (अपतट) में ब्लाक आई० सी० और आई० डी० क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्य कलापों जैसे, अपतटीय रिगों के आगमन व जाने की तिथि के बावत ओ० एन० जी० सी० द्वारा फ्लैग आफिसर, कमांडिंग–इन–चीफ, पूर्वी नेवल कमांड, विशाखापत्तनम को सूचना दी जानी चाहिए ।

(द) लगाए गए पोतों को आई० बी० एल० आर० न करने की सलाह दी जाए ।

अनुसूची "क"

तमिलनाडु अपतट के ब्लाक सं० सी०-ओ० ए-1ए में 7500 वर्ग कि० मी० (कावेरी अपतट का पी० ई० एल० क्षेत्र) के लिए पी० ई० एल० ।

	बिंदु	अक्षान्तर	देशान्तर
(i) बम्बई बिन्दुओं के भूवैज्ञानिक निर्देशांक	बी	8° 22″ 00″	77° 00″ 00″
	सी	7° 12″ 00″	77° 00″ 00″
	पी	7° 11″ 53″	77° 38″ 10″
	एम	8° 08″ 39″	77° 58″ 10″

(ii) क्षेत्र में पानी की उपरिवर्ती गहराई 0.900 मी०

(iii) भूमि के 3 मुख्य स्थानों से दूरतम बिन्दु (पी) की अनुमानित दूरी

तिरुवेन्द्रम	163 कि० मी०
नगेरेआयल	111 कि० मी०
कन्या कुमारी	98 कि० मी०

(iv) ड्रिलिंग आरम्भ करने की संभावित तिथि 01-08-1987

(v) भारत श्रीलंका की समुद्री सीमा से पी० ई० एल० क्षेत्र 80 कि० मी० से अधिक दूरी पर है ।

ख--कैसिंग हैड कन्डेन्सेट

अशोधित तेल, कैसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क--अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये ली० की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये ली० की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त कि० ली० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख--कैसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग--प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से नाम और उसके ।

हस्ताक्षर----------

आदेश

विषय :—ओ० एन० जी० सी० को लक्ष्यद्वीप अपतट में 26496 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति

सं० ओ०–12012/12/87–ओ० एन० जी० डी०–II——पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को लक्ष्यद्वीप अपतट में 26436 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस इस पी० ई० एल० को जारी करने की तिथि अथवा कूप की खुदाई करने की तिथि से इन दोनों में से जो भी पहले हो से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है जिसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए है ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192 रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 2,11,968/– रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के के लिए 300 रुपए ।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम-II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उनको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा एक दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमिट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ड) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं ।

(ढ) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं ।

(ण) अगर विदेशी जलपोत लगाए जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाए जाने से पूर्व किया जाना होता है । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके ।

(त) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान प्रांकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

अनुसूची "क"

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 26496 वर्ग किलोमीटर (एल० डी० पी० एवं एल के संरचना) लक्षद्वीप अपतट क्षेत्र के लिए पी० ई० एल ।

	पाइंट	रेखांश	अक्षांश
(1) लक्ष्यद्वीप क्षेत्र की भूगोलकीय संरचना	ए	73° 15″	11° 45″
	बी	72° 00″	11° 45″
	सी	72° 00″	10° 00″
	डी	73° 15″	10° 00″

(2) कूप स्थल (I) एल–डी–पी–1

(II) एल के –1

(3) भूमि पर महत्वपूर्ण स्थलों से लगभग दूरी — कन्नौर से पाइंट ए 232 कि० मी०, कोचीन से पांइट डी 330 कि० मी०

(4) जल की गहराई — ए० एल० के–1 —406 मि०; ए० एल० एल० डी–पी–1—100 मि०

अनुसूची-ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल : वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटायें मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल कि० लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये कि० लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये कि० लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त कि० लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा, मैं श्री......................सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तः करण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर—————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर ।

पी० के० राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1987

सं० 1/5/87-समिति— सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम (1860) का इक्कीस) के प्रयोजनों के लिए सोसायटी (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना संख्या 1/7/84-समिति दिनांक 20-5-1985 के सिलसिले में जनसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि सोसायटी के निम्नांकित सदस्यों की अवधि भारत सरकार द्वारा 30 जून 1987 तक बढ़ायी गई है :—

1. श्री के० सी० पन्त,
   रक्षा मंत्री,
   साउथ ब्लाक,
   नई दिल्ली-110 011
2. प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन,
   सदस्य, योजना आयोग,
   योजना भवन, संसद मार्ग,
   नई दिल्ली-110 001
3. प्रोफेसर बी० रामचन्द्र राव,
   संसद-सदस्य (राज्य सभा),
   हरीनिवास, 9-15-17, सी०बी० एम० कंपाउण्ड,
   विशाखापत्तनम-530 003 (आंध्र प्रदेश),
   (दिल्ली का पता : एबी-14, पंडारा रोड,
   नई दिल्ली-110 003)
4. प्रोफेसर सी० एन० आर० राव,
   निदेशक,
   भारतीय विज्ञान संस्थान,
   बंगलूर-560 012
5. डा० (श्रीमती) स्नेह भार्गव,
   निदेशक,
   अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
   अंसारी नगर,
   नई दिल्ली-110 029
6. डॉ० एम० गांगुली,
   अध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशक,
   इंण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन, लिमिटेड,
   डाकघर पेट्रोकेमिकल्स-391346,
   जिला बड़ोदरा ।
7. श्री रतन नवल टाटा,
   टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
   24 होमी मोदी स्ट्रीट,
   फोर्ट, बम्बई-400 023 ।

अशेष प्रसाद मित्र
सचिव, भारत सरकार
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग,
तथा महानिदेशक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान,
नई दिल्ली-110 001

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th May 1987

No. 45-Pres/87.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Nagendra Nath Mishra,
Deputy Commandant,
29th Battalion,
C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th February, 1980, an information was received that a gang of insurgents was camping in the interior jungle of Kaunu hill in Manipur. A Police party including Shri Nagendra Nath Mishra, Deputy Commandant, left Imphal in vehicles upto village Kanglatongbi and from there they covered the rest of the distance on foot. The raiding party was divided into three groups, one led by Shri Nagendra Nath Mishra, Dy. Commandant, another by Additional S.P. and the third by two Inspectors of Police.

It was intimated that the insurgents had strong sympathisers in village Makhan. One platoon under the command of an Inspector was deputed to encircle the village. The Inspector searched the suspected houses early in the morning on 16th February, 1980 and found two persons who were handed over to the Civil Police. The second group of the raiding party also reached near the camp of the insurgents early in the morning on 16th February, 1980. When the raiding party was at a distance of about 50 yards from the camp, the leading Scout Constable was fired upon and was wounded by the bullet on the leg. He immediately took up the position and returned the fire. One insurgent, who was hiding nearby, charged at the Constable. Immediately the other Constable fired on the insurgent and killed him on the spot. On hearing the sound of firing other insurgents started firing on the raiding party and threw one hand grenade on the Police party, but that did not explode. One of the insurgents tried to shoot the Constable who was manning the LMG, but the insurgent was shot dead. In the meantime the other party headed by Shri Nagendra Nath Mishra, Dy. Commandant charged on the camp of the insurgents to capture them alive. The insurgents seeing the courage of the raiding party led by Shri Mishra were so demoralised that they ran helter-skelter in panic, leaving behind huge quantity of arms, ammunition and other equipment. As the visibility was very poor in the thick forest, some of the insurgents managed to escape. Two insurgents were killed and a large quantity of arms and ammunitions were recovered.

In this encounter Shri Nagendra Nath Mishra, Dy. Commandant, displayed conspicuous ballantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th February, 1980.

No. 46-Pres/87.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Janardan Prasad Singh,
Sub-Inspector of Police,
Sadar Police Station,
District Vaishali.

Statement of serices for which the decoration has been awarded

On the 29th April, 1986 Shri Janardan Prasad Singh, Sub-Inspector of Police was going on his Motor cycle from Sadar Police Station Vaishali towards town. When he crossed the Railway Station Chowk, he heard sounds of firing and saw people running helter-skelter, in panic. Shri Singh stopped his Motor-cycle and learnt that an armed robbery was being committed in a shop. The robbers had shot down one shop-keeper and the people became so scared and demoralised that when Shri Singh advanced towards the place of occurrence, they tried to prevent him and warned him not to go alone. Ignoring the imminent danger, Shri Singh proceeded towards the shop all alone. Seeing a Police officer in uniform, the criminals got puzzled and started indiscriminate firing to create terror but Shri Singh had a miraculous escape. He pounced upon a hefty criminal, warded off a murderous dagger attack on him by his right hand and kicked the criminal down on the ground. When other criminals saw one or their accomplicee falling on the ground they got demoralised and managed to escape. During the scuffle and struggle for survival, the criminal made another attack on the Sub-Inspector with his dagger, Shri Singh warded off the dagger attack and most valiantly jumped over the criminal and got him on the ground. The criminal surrendered to the Sub-Inspector. He was later identified as Nagendra Sahni of District Patna. The gallant act of Shri Singh prevented the robbery in the shop and further loss of life and property. After interrogation, the criminal disclosed the names and place of hiding of his accomplices. Two more criminals were later apprehended. All the criminals were involved in a number of murder/robbery cases

In this incident, Shri Janardan Prasad Singh, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules govering the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th April, 1986.

No. 47-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Surendra Kumar Singh,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Chandi,
District Nalanda (Bihar).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 20th November, 1985 Shri Surendra Kumar Singh, Sub-Inspector of Police, received an information that some Naxalites were collecting near Gangabigha, Tola Beldaria under Police Station Chandi and planning to attack neighbouring Police Station Tharthari with a view to loot Police rifles. Shri Singh, contacted his counter parts of the nearby Police Stations and he led a Police party to Tola Beldaria and made enquiries about the assemblage of the naxalites. In the course of a search, he entered a room and found about 10 armed persons, who on seeing him, started firing but he cleverly slipped into another room and took position and commanded the Naxalites to surrender with their arms. Even though Shri Surendra Kumar Singh was completely isolated from his party and was virtually within the range of naxalites' firing, he fired from his service revolver. The naxalites fired back and Shri Singh was hit in his left leg beneath the knee and fell down. However, he managed to come out of the room and ordered his men to cordon the room. He also alerted Hilsa Police Station and requested for reinforcement, but without waiting for the reinforcement he cordoned the village with the help of his men. This made the naxalites panicky and they tried to come out of the village by resorting to intermittent firing. In this firing another Sub-Inspector of Chandi Police Station got gun shot injury. Finding them in a precarious position, the Naxalites attempted desparately to break the Police cordon and run away. In this process naxalites resorted to heavy firing which was returned by the Police party resulting in the death of three naxalites on the spot. When the situation eased and firing from the village side stopped Shri Surendra Kumar Singh, Inspector entered the village and made searches. One looted Police rifle, 2 regular rifles, 3 regular DBBL guns, 2 country made rifles, one country made gun and huge quantity of live cartridges were recovered from the naxalites. In all 19 persons were arrested including two well known naxalites.

In this encounter, Shri Surendra Kumar Singh, Sub-Inspector of Police, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th November, 1985.

S. NILAKANTAN, Dy Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110 003,, the 7th May 1987

RESOLUTION

No. 12015/12/84-OL(TC).—It has been decided to reconstitute the inter-Departmental high-level Committee constituted vide this Department's Resolution No. 12015/12/84-OL (Tech. Cell) dated 29-7-85. Now, it will comprise of the following :—

Chairman

1. Minister of State in the Ministry of Home Affairs.

Members

2. Secretary,
Department of Official Language.

3. Secretary,
Department of Electronics.

4. Joint Secretary,
Department of Official Language.

5. Prof. C. S. Jha,
Department of Electrical Engineering,
I.I.T., Haus Khas,
New Delhi-110-016.

6. Dr. N. V. Koteshwar Rao,
Computer Division,
E.C.I.L., Cherlapalli,
Hyderabad-500 762.

7. Dr. P. K. Patwardhan,
Head, Computer Division & Chairman,
Technology Transfer Group,
Bhabha Atomic Research Centre,
Bombay.

8. Dr. Om Vikas,
Joint Director,
Department of Electronics,
New Delhi.

Secretary

9. Director (Technical),
Department of Official Language.

2. Others decisions in the above Resolution remain the same.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Comptroller and Auditor General Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

SHAMBHU DAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 5th May 1987

CORRIGENDUM

No. 2/15/82-NS.—In the Ministry of Finance Department of Economic Affairs Gazette Notification No. 2/15/83-NS dated 11-8-1983, published in Part I Section 1 of the Gazette of India Extra ordinary, under the heading "Fourth Prize (Rs. 5000) each" the following entry may be deleted :—

"76 5622839 1462922 Bokaro Steel City Bihar"

OM PAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 5th May 1987

RESOLUTION

No. 3(1)/87-Met.II.—Government have decided to constitute Development and Promotion Council for Non-Ferrous Metals (other than Aluminium) in order to generate greater sense of national involvement in the problems and prospects of the Non-Ferrous Metals (other than Aluminium) industry and to ensure flow exchange and inter action of fresh ideas among the primary producers, the down stream users and the trade in general, from time to time, so as to improve its functioning, in the context of the relatively scarce resource position of these metals. The composition of the Development and Promotion Council will be as given below :—

Chairman

1. Secretary,
Ministry of Steel and Mines
(Department of Mines),
New Delhi.

A. *Primary Producers of Non-Ferrous Metals*

2. Chairman-cum-Managing Director,
Hindustan Zinc Limited,
Yashadgarh Yashad Bhavan,
Udaipur.

3. Chairman-cum-Managing Director,
Hindustan Copper Limited,
10, Camao Street, Calcutta.

4. Chairman,
Cominco Binani Zinc Limited,
Mercantile Chamber, 22, J. N. Heredia Marg,
Ballard Estate, Bombay-400 030.

5. Managing Director,
India Lead Pvt. Limited.
Bombay-Agra Road Majiwadia,
Thana-400 061.

B-*Associations Representing Consumers of the Non-Ferrous Metals (other than Aluminium)*

6. President,
Indian Non-Ferrous Metals Manufacturers' Association,
C/o Meckanzie Building, Billard Estate,
Bombay.

7. President,
Cable & Conductor Manufacturers' Association
of India,
308 Mansarover, 90, Nehru Place,
New Delhi.

8. President,
Indian Electrical & Electronic Manufacturers'
Association,
501, Kakad Chambers,
132 Annie Besant Road, Worli,
Bombay.

9. Secretary General,
National Allaince of Young Enterpreneurs,
301-302, Sarswati Bhavan, 28, Nehru Place,
New Delhi.

10. President,
Association of Indian Engineering Industry,
New Delhi.

11. Industries Association, Jagadhari.

C-*Technical Authorities*

12. Director General,
Technical Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.

13. Chairman,
Bureau of Industrial Costs & Prices,
Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

14. President,
Federation of Association of Small Industries of India,
23-B/2 Guru Gobind Singh Marg,
New Delhi-110 005.

15. Secretary,
Indian Lead Zinc Information Centre,
New Delhi.

16. Director General,
Indian Standards Institution,
New Delhi.

17. Major General R. V. N. Kadambi,
Director, Programme Coordination (Engineering),
Kashmir House, New Delhi.

18. Dr. Rajinder Kumar,
Regional Research Laboratory,
Bhopal.

19. Development Commissioner,
Small Scale Industries,
Nirman Bhavan,
New Delhi.

20. Dr. C. G. Krishnadass Nair,
General Manager,
Hindustan Aeronautics Ltd.
Bangalore.

D-*Importing Agency*

21. *Chairman,*
The Mineral & Metals Trading Corporation of
India Limited,
Express Building, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

E-*Government Officials*

22. Additional Secretary,
Ministry of Steel and Mines
Department of Mines,
New Delhi.

23. Adviser (Energy Conservation),
Cabinet Secretariat,
New Delhi.

24. Adviser (Industry & Minerals),
Planning Commission,
New Delhi.

25. Joint Secretary,
Incharge of Copper,
Department of Mines,
New Delhi.

26. Joint Secretary,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

27. Joint Secretary,
Department of Power,
New Delhi.

28. Commissioner,
Tax Research,
Department of Revenue,
New Delhi.

Member-Secretary

29. Director/Deputy Secretary,
Incharge of Zinc Industry,
Department of Mines,
New Delhi.

Functions

To advise Government in regard to matters on Non-Ferrous Metals (other than Aluminium) and their down-stream products, with particular emphasis on production, norms of efficiency, reduction in costs of production, capacity utilisation, energy conservation, improvements in quality, standardisation of products, development of new materials and advising on any matters relating to the industry.

Tenure

The tenure of the Development and Promotion Council for Non-Ferrous Metals (other than Aluminium) will be for a period of four years, unless specifically extended by the Central Government.

P. K. LAHIRI, Addl. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 11th May 1987

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Block No. C.OS-1C area measuring 7200 sq. kms. in Tamil Nadu offshore to ONGC.

No. O-12012/5/87-ONGD4(.).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (herein-after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 1-8-1987 for Block No. C.OS-1C area measuring 7200 sq.kms. in Tamil Nadu offshore the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 57,600/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and megnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to commencement of survey. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) ONGC should inform the Flag Officer Commanding-in-Chief Eastern Naval Command, Vishakapatnam about the offshore activities being undertaken in Krishna Godavari Basin (offshore) Block 1-C and 1-D areas i.e. the arrival and departure of offshore rigs.

SCHEDULE 'A'

PEL for Block No. C. OS-1C of Tamil Nadu Offshore area measuring 7200 sq. kms. in Gulf of Mannar—CAUVERY offshore.

(1) Geographical co-ordinates of boundry points

Point	LAT.	LONG
O	9° 11′ 21″	78° 43′ 38″
N	8° 44′ 51″	78° 10′ 54″
Q	7° 27′ 34″	78° 10′ 54″
E	7° 40′ 00″	78° 20′ 00″
F	8° 00′ 00″	78° 20′ 00″
R	8° 23′ 14″	78° 43′ 38″

(2) Approximate distance farthest point (point R) from 3 prominent places of Land.

Tuticorin	= 78 km
Rameshwaram	118 km.
Ramanathapuram	= 110 km.

(3)	Approximate depth of superjacent water in the area.	0-900 Mts.
(4)	Likely date of commencement of exploratory drilling	01-08-1987
(5)	Approximate distance of the structure (area under PEL) from the international boundry and border of foreign state.	Southern part of PEL area falls within 80 km of India—Sri Lanka sea boundry.
(6)	Name of the foreign firm/Foreigners deployed during drilling /exploration activities	There is no plan now to deploy any foreigners in these areas.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing Head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri ——————————————————**do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.**

.....

(Signature)

By order in the name of the President of India.

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Block No. C.OS-1b area measuring 7500 sq. kms. to ONGC in Tamil Nadu offshore.

No. O-12012/6/87-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years for block No. C.OS-1b area measuring 7500 sq. kms. Tamil Nadu offshore with effect from 1-8-1987, the particulars of which are given in schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 60,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The entire data is processed in India.

(n) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence Chief Hydro.

(o) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

(q) Vessels deployed be advised not to cross I.B.L.

(r) ONGC ensures security of oceanographic data.

(s) ONGC should inform the Flag Officer Commanding-in-chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam about the offshore activities being undertaken in Krishna-Godavari Basin (offshore) Blocks I-C and 1-D areas i.e . the arrival and departure of offshore rigs.

SCHEDULE 'A'

Geographical Coordinates of Block No. C. OS-1b of Tamil Nadu offshore area measuring 7500 sq. kms. (Cauvery offshore).

Point	Latitude	Longitude
M.	8° 08′ 39″	77° 38′ 10″
P.	7° 11′ 53″	77° 38′ 10″
D.	7° 12′ 00″	78° 00′ 00″
Q.	7° 27′ 34″	78° 10′ 54″
N.	8° 44′ 51″	78° 10′ 54″

(1)	Approximate distance farthest point (Point D) from prominent places on land	Kanniyakumari	—110 Ks.
		Udankudi	—137 km.
		Tuticorin	—180 km.
(2)	Approximate depth of superjacene water in the area		0·900 Mts
(3)	Likely date of commencement of exploratory drilling		01-08-1987.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri——————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order in the name of the President of India.

The 12th May 1987

ORDER

Subject:—Grant of Petroleum Exploration Licence for Block No. C.OS-1a area measuring 7500 sq. kms. in Tamil Nadu offshore to ONGC.

No. O-12012/7/87-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years from 1-8-1987 for Block No. C.OS-1a area measuring 7500 sq. kms. in Tamil Nadu offshore the particulars of which are given in schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.
The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding

month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 60,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;
(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;
(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;
(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;
(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/ survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The entire data is processed in India.

(n) A complete set of oceanographic data collected by ONGC, is made available *free of cost* to Chief Hydro.

(o) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) ONGC should inform the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam about the offshore activities being undertaken in Krishna—Godavari Basin (offshore) Block I.C and I.D areas i.e., the arrival and departure of offshore rigs.

(q) Vessels deployed be advised not to cross I.B.L.

(r) ONGC ensures security of oceanographic data.

SCHEDULE 'A'

PEL for Block No. C-OS-1a of Tamil Nadu offshore area measuring 7500 sq. kms. (Cauvery offshore PEL area).

	Point	Latitude	Longitude
(i) Geographical coordinates of Boundary points	B	8° 22′ 00″	77° 00′ 00″
	C	7° 12′ 00″	77° 00′ 00″
	P	7° 11′ 53″	77° 38′ 10″
	M	8° 08′ 39″	77° 38′ 10″
(ii) Approximate depth of superjacent water in the area.		0-900 Mts.	
(iii) Approximate distance farthest point (Point P) from 3 prominent places of Land.		Trivandrum Nagercoil Kanniyakumari	—163 km. —111 km. —98 km.
(iv) Likely date of commencement of Exploratory drilling		01-08-1987	
(v) PEL area is more than 80 km away from India-Sri Lanka sea boundary.			

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for Area

Month and Year

A Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir.	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing head condensate.

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to Natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri———————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(signature)

By order in the name of the President of India.

ORDER

Subject:—Grant of Petroleum Exploration Licence for Lakshdweep offshore area measuring 26496 sq. kms. to ONGC.

No. O-12012/12/87-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from the date of issue of this PEL or spudding date of the well whichever is earlier for Lakshdweep offshore area measuring 26496 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 2,11,968/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The entire data is processed in India.

(n) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence/Chief Hydro.

(o) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) ONGC ensures security of oceanographic data.

SCHEDULE 'A

PEL for Lakshdweep offshore area measuring 20496 sq. kms. (LD-P & LK Structure) to ONGC)

	Point	Longitude	Latitude
(1) Geographical coordinates of Lakshdweep area	A	73° 15′	11° 15′
	B	72° 00′	11° 15′
	C	72° 00′	10° 00′
	D	73° 15′	10° 00′
(2) Well location	(i) LD-P-1		
	(ii) LK-1		
(3) Approximate distance from the prominent places of land		Point A from Cannanore	—232 kms.
		Point D from Cochin	—330 kms.
(4) Water depth	At LK-1		—406 M.
	At LD-P-1		—100 M.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing Head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri _____ do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

_____

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN Desk Officer

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi, the 5th May 1987

No. 1/5/87-CTE.—Further to Notification No. 1/7/84-CTE dated 20-5-1985 regarding the reconstitution of the Society (Council of Scientific & Industrial Research) for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860) it is notified for general information that the term of the following existing members of the Society has been extended by the Government of India upto 30th June, 1987 :—

1. Shri K. C. Pant,
Minister of Defence,
South Block,
New Delhi-110011.

2. Prof. M. G. K. Menon,
Member, Planning Commissison,
Yojana Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

3. Prof. B. Ramachandra Rao,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
Harinivas, 9-15-17, C.B.M. Compound,
Visakhapatnam-530003 (A.P.).

(Delhi address : AB-14, Pandara Road,
New Delhi-110003).

4. Prof. C. N. R. Rao,
Director,
Indian Institute of Science,
Bangalore-560012.

5. Dr. (Mrs.) Sneh Bhargava,
Director,
All India Institute of Medical Sciences,
Ansari Nagar,
New Delhi-110029.

6. Dr. S. Ganguly,
Chairman & Managing Director,
Indian Petrochemicals Corporation Ltd.,
P. O. Petrochemicals-391346,
Distt. Vadodara.

7. Shri Ratan Naval Tata.
Tata Industries Ltd.,
24 Homi Mody Street,
Fort, Bombay-400023.

A. P. MITRA
Secy. to the Government of India,
Department of Scientific and Industrial Research,
and Director General,
Scientific & Industrial Research,
New Delhi-110001.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987